ग्राम पंचायत जरूंडी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जरूंडी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति उर्मिला	1.4.2013 से 22.1.2006
2.	श्रीमति कमलेश कुमारी	23.1.2016 से 31.3.2016

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री बलवंत सिंह	1.4.2013 से 31.3.2015

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत जरूंडी के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ में)
1.	8	खाता (ख) के ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना	14253
2.	11	अनुदान का उपयोग न करना	575590
3.	13	पंचायत द्वारा जे0सी0बी0 से निर्माण कार्यों के अभिलेख बारे	103000

4.	14	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	233554

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत जरूंडी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.5.2016 से 2.6.2016 खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	3/2014	2/2014
2014–15	2/2015	10/2015
2015–16	8/2015	4/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत जरूंडी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 124/2016, दिनांक 2.6.2016 द्वारा अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि पंजाब नेशनल बैंक नाहिलयां की ड्राफ्ट संख्या : 4530, दिनांक 9.6.2016 द्वारा भेज दिया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत जरूंडी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत जरूंडी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	70264	40979	111243	14272.55	96970.45
2014–15	96970.45	53315	150285.45	40557.10	109728.35
2015–16	109728.35	46457	156185.35	23195.90	132989.45

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत जरूंडी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	472830	2039848.5	2512678.50	2011393.35	501285.15
2014–15	501285.15	1582429	2083714.15	1767496.55	316217.60
2015–16	316217.60	1308082	1624299.60	1048709.18	575590.42

सचिव ग्राम पंचायत जरूंडी द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों तथा वित्तीय स्थिति के अनुसार मनरेगा में दिनांक 31.3.2016 को ₹20751 रूपये ऋणात्मक दर्शाई गई है।

5. बैंक समाधान विवरणी :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत जरूंडी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं कि, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹17776.53 का अन्तर था। अतः पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें

1.	रोकड़ वही खाता "क" पैरा 4(1) का अन्तशेष	132989.45
2.	रोकड़ वही खाता "ख" पैरा 4(2) का अन्तशेष	575590.42
	योग	**₹708579.87**

अन्तशेष का विवरण :–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	2445000101038860	325877.92
2.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	2445000101027475	102375.92
3.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	2445000101038833	12213.92
4.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	2445000101038815	59925.10
5.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	2445000101038888	3887.10
6.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	2445000101032413	61541.27
7.	पंजाब नेशनल बैंक नाहलिया	2445000101038824	765.17
8.	कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति देहरा	20008005467	140540
9.	डाकघर जरूंडी	2555288	18821
10.	हस्तगत राशि		409
11.	सावधि जमा		शून्य
		योग	₹726356.64

अन्तर :– ₹726356.64–₹708579.87=₹17776.53

6. रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :–

ग्राम पंचायत जरूंडी की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों कि रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत कि रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. बचत खाते पर डाकघर द्वारा ब्याज न देना :–

डाकघर जरूंडी के बचत खाता संख्या : 255528 में मास 3/2005 को ₹18821 जमा थे तथा यह खाता श्री प्रताप चन्द जो उस समय कार्यरत प्रधान थे। उनके नाम से खोला गया था, परन्तु बचत खाते पर डाकघर द्वारा मास 3/2005 के पश्चात कोई भी ब्याज नहीं लगाया गया और न ही खाते से कोई भी आहरण किया गया। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए राशि ग्राम पंचायत/खाते में जमा/हस्तांतरित करनी सुनिश्चित की जाए।

8. खाता (ख) के ब्याज ₹14253 को खाता (क) में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष मास जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता (ख) से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता (क) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत के खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज राशि को स्वयं संसाधनों के खाता (क) में ₹14253 अन्तरित किया जाना था, परन्तु नहीं किया गया। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए तुरन्त अब तक खाता (ख) के बैंक खातों में अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

मास	मनरेगा	आई0डब्लू0एम0पी0	ब्याज राशि
9/2013	922	3488	4410
3/2014	1132	924	2056
9/2014	–	747	747
3/2015	–	2238	2238
9/2015	–	3471	3471
3/2016	–	1331	1331
		योग	₹14253

9. निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10. पंचायत राजस्व का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के फार्म–10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना

अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचयत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

11. अनुदान ₹575590 का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट–1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹575590 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतीर की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12. लाभार्थिओं से प्राप्त होने वाले भाग के बारे में :–

आई0 डब्लू0 एम0 पी0 अनुदान के दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जिन लाथार्थिओं के निर्माण कार्य तथा वाटर टैंक तथा अन्य कार्यों पर व्यय किया जाता है उनसे कुल व्यय राशि का 5% भाग प्राप्त करना तथा उसे ग्राम पंचायत के पास जमा करवाना था। अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान आई0 डब्लू0 एम0 पी0 के लाभार्थिओं से कितनी राशि प्राप्त की गई है, उसकी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई और न ही उसकी जांच की जा सकी, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अविलम्ब प्राप्त राशि का नियमानुसार अभिलेख तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

13. पंचायत द्वारा जे0सी0बी0 (J.C.B) ₹103000 के निर्माण कार्यों के अभिलेख बारे :–

ग्राम पंचायत, जरूंडी द्वारा रास्तों के निर्माण कार्यों के लिए श्री प्रदीप कुमार संविदाकार से जे0सी0सी (J.C.B) से करवाए गए कार्य जोकि प्रति घन्टा की दर से ₹103000 भुगतान किया गया, परन्तु न तो भुगतान की मापन पुस्तिका, प्राकलन तैयार किए गए और न ही नियमानुसार निविदाएं बुलाई गई, जिससे दरों के निम्न होने की पुष्टि हो सके। अतः निविदाएं न बुलाने तथा वांन्छित अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट करते हुए इस विभाग को अवगत करें।

वाउचर संख्या	मास	घन्टा	दर	राशि
33	11/2014	25	1000	25000
34	11/2014	25	1000	25000
6	4/2015	48.07	1000	48070
7	4/2015	मस्टरोल लेबर		4930
			योग	₹103000

14. पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹233554 स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई मदों का स्टॉक रजिस्टर भी लगाया गया है तथा उसमें निर्माण कार्यों की कुछ ही मदों को दर्ज किया गया है, परन्तु परिशिष्ट में दर्शाई गई मदों को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग की जांच नहीं हो सकी तथा इन मदों के दुर्विनियोजन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः मदों को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते स्टॉक रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित किया जाए, जिसकी अनुपाना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

15. अदायगी आदेश (पे ऑर्डर) के बिना भुगतान करना :–

ग्राम पंचायत के भुगतान वाउचरों की जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) व (2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद में या चेक द्वारा कोई भी संदय तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित अदायगी धारित नहीं करता है। जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	–	103
4.	मसिक समाधान विवरणी	–	15(1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10.	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों का रख–रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

19. **निष्कर्ष :–** ग्राम पंचायत द्वारा विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना तथा अभिलेख के बिना आहरण करना लेखों के प्रति उदासीनता को ही दर्शाता है, जिसे विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि वह ग्राम पंचायत पिहड़ी के लेखाओं की विस्तारपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(2)4/2016, खण्ड–1–4858–4861 दिनांक 07.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09
2. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0

पंजीकृत

4. सचिव, ग्राम पंचायत जरूंडी, विकास खण्ड देहरा, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.